गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं0:-248/प्रवर्तन जोन-6/2020 दिनांक 6-1-2021

परिशिष्ट-3 प्रपत्र 'ब'/भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-3-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

वैशाली योजना गाजियाबाद स्थित भूखण्ड संख्या-06, सेक्टर-03, वैशाली गाजियाबाद के अन्तर्गत, मै0 सर्वप्रिय सिक्योरिटीज प्रा0लि0 द्वारा निर्मित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के भूखण्डीय विकास (2281.45 वर्गमीटर) हेतु शमन मानचित्र पत्र संख्या-25/ए0ई0/प्रवर्तन जोन-6/जी0डी0ए0/2020 दिनांक 25.01.2019 के आधार पर सम्पूर्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन दिनांक 03.11.2020 व अन्य अभिलेखों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर सशर्त सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 29.12.2020 को प्रदान की गई है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुरूप मै0 सर्वप्रिय सिक्योरिटीज प्रा0लि0 की अनुमोदित कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या-06, सेक्टर-03, वैशाली गाजियाबाद के भूखण्डीय विकास (2281.45 वर्गमीटर) के सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों क्रम संख्या-01 से 09 के अधीन जारी किया जाता है।

प्रभारी, प्रवर्तन जोन-6

शर्तें / प्रतिबन्ध :–

1. अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा के उपकरणों के क्रियाशील होने का प्रमाण पत्र मुख्य अग्नि शमन अधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2020 को निर्गत किया जा चुका है। जिसकी छायाप्रति दांयी ओर संलग्न है। प्रमाण पत्र में अंकित समस्त प्राविधानों के पालन करने की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी तथा शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। प्रत्येक वर्ष इसके अनुपालन की सूचना से प्राधिकरण को भी सूचित करना होगा।
2. भवन के स्ट्रक्चरल / एलीवेशन सेफ्टी की पूर्ण जिम्मेदारी आर्किटेक्ट / स्ट्रक्चरल इंजीनियर / बिल्डर की होगी। यदि इसके लिए किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए यह एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।
3. रेनवाटर हार्वेस्टिंग के क्रियान्वयन एवं रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर की होगी तथा इसकी किसी भी समय जांच करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।
4. समस्त रोपित वृक्षों के रख–रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्डर की होगी।
5. वाटर सप्लाई, सीवर मेन्टीनेन्स तथा किसी भी प्रकार की मेन्टीनेन्स / रख–रखाव की जिम्मेदारी स्वयं बिल्डर की होगी।
6. स्वीकृत पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जायेगा। कोई अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा।
7. किसी भी विपरीत परिस्थिति में निर्माणकर्ता की लापरवाही से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माणकर्ता का होगा।
8. प्राधिकरण द्वारा भविष्य में बढे हुए विकास व्यय या अन्य कोई शुल्क की मांग की जाती है तो वह निर्माणकर्ता को प्राधिकरण कोष में नियमानुसार जमा कराना होगा।
9. लिफ्ट की सुरक्षा का नियमानुसार समय–समय पर परीक्षण करान होगा एवं परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकररण में उपलब्ध करानी होगी।

4/01/20

योगेश वर्मा
अवर अभियन्ता, प्रवर्तन जोन-6

अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता

प्रभारी, प्रवर्तन जोन–6

प्रपत्र– "ब"

व्यवसायिक भवन के पूर्णता प्रमाण –पत्र हेतु आवेदन पत्र
उपविधि संख्या –3.1.8
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

भाग–अ

विषयः–पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए

1. (I) आवेदन का नाम मै0 सर्वप्रिया सिक्योरिटीज प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय वार्षणे
   (II) वर्तमान पता –ऑफिस–1102,ग्यारवी मंजील, टावर–ए, सिग्नेचर टावर, गुड़गॉव
2. भूखण्ड संख्या तथा योजना का प्लॉट नं0 6, सेक्टर–3, वैशाली गाजियाबाद
   नाम मोहल्ला वार्ड
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) — 2281.45 वर्ग मी0
4. भवन का अनुमन्य उपयोग — व्यवसायिक
5. (I) भवन मानचित्र स्वीकृत की तिथि — 06/02/2007
   (II) परमिट संख्या — 1283/टी.एच.ए./कॉमर्शियल/जोन–6
   (III) यदि स्वतः अनुमोदित है तो
   प्राविधान का विवरण
   यदि भवन मानचित्र जमा करने की
   तिथि से निर्धारित अवधि मे भवन
   मानचित्र अस्वीकृति की सूचना न दी गई हो–
   मानचित्र जमा करने की तिथि रसीद संख्या
   एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
6. (I) यदि अनधिकृत निर्माण का शमन कराया गया हो तो
   शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें। — **संलग्न है**
   (II) शमन शुल्क भुगतान की तिथि, रसीद संख्या एवं शमन शुल्क रू –
   एवं रसीद की प्रमाणित प्रति संलग्न करें । — **संलग्न है**

7. **निर्माण की स्थिति**

	क्रमांक	प्राविधान/स्वीकृत	अनुमन्य	निर्मित/निर्माणधीण	पूर्ण सम्पूर्ति
	1	2	3	4	5
7.1	(अ) भू–आच्छादान (प्रतिशत)	37.05%	40%	36.34%	36.34%
7.2	एफ . ए . आर	6355.29	6781.46	7455.87	7455.87
7.3	सैट बैक (दूरी मीटर में)				
	(क) सामने	4.710mt.	4.710mt.	4.710mt.	4.710mt.
	(ख) पीछे	8.00 mt.	8.00 mt.	8.00 mt.	8.00 mt.
	(ग) दाएं	11.820 mt.	11.820 mt.	11.820 mt.	11.820 mt.
	(घ) बाए	8.175 mt.	8.00 mt.	8.00 mt.	8.00 mt.
7.4	(अ) बेसमेन्ट क्षेत्रफल व.मी.में				
	बेसमेन्ट	983.45		1017.09	1017.09
	(ब) बेसमेन्ट का उपयोग	पार्किंग	पार्किंग	पार्किंग	पार्किंग
7.5	पार्किंग (ई0 सी0 एस0)				
	ओपन पार्किंग	16ECS	-----	56ECS	56ECS
	स्टील्ट पार्किंग	-----	-----	-----	-----
	बेसमेन्ट पार्किंग	79 ECS	79 ECS	61 ECS	61 ECS
7.6	भवन कि उँचाई (मीटर में)			35.300 mt.	35.300mt.
7.7	मंजिलों की संख्या	1बेसमेन्ट +अपर ग्राउण्ड छः फ्लोर		1बेसमेन्ट + लोअर ग्राउण्ड + ग्राउण्ड से 7 फ्लोर	1बेसमेन्ट + लोअर ग्राउण्ड + ग्राउण्ड से 7 फ्लोर

8. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी से फायर फाइटिंग सिस्टम की पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें) **संलग्न है।**

9. सुविधओं को मानचित्र पर दर्शाया जाए
(क) जल– आपूर्ति
(ख) मलोत्सारण
(ग) जल निकास **(निम्नलिखित समस्त सुविधाये मानचित्र पर दर्शा दी गयी है)**
(घ) सोलर वाटर संयंत्र
(ड.) विद्युत आपूर्ति
(च) लिफ्ट
(चीफ इल्वेक्ट्रकल इन्सपेक्ट्रर ऊ.प्र0. लिफ्ट के पूर्णता का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

10. गारवेज शूट (है/नही)

11. एविऐशन क्षेत्र में स्थित होने की दशा मे
एविऐशन लाइटस लगी है/नही लगी है

12. रेनवाटर हार्वेस्टिग प्रणाली (पंजीकृत अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न करें) (है/नही)

13. भवन में आन्तरिक परिवर्तन:
(क) उपविधियों के अन्तर्गत है/नही
(ख) यदि उपविधियों के विपरीत है तो
उसका शमन हो चुका है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/ व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है । लागू भवन उपविधियों के अन्तर्गत ऐसा अनधिकृत निर्माण नही है जो शमन न कराया गया है । अतः उक्त भूखण्ड पर किए गए निर्माण हेतू पूर्णता प्रामाण पत्र निर्गत किया जाए ।

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर
(अधिकृत होने के प्रमाण पत्र सहित

Design Studio

ANUJ AGARWAL ARCHI[redacted]S
ARCHITECTS, ENGINEERS, INTERIOR DESIGNERS & VAST[redacted]S

OFFICE:- A-244, KAUSHAMBI, GH[redacted]10
PHONE:- 0120-41657[redacted]06
Email:-arch.anujagarwal@gmail.com

भाग—ब

परिशिष्ट—6
(प्रपत्र— ब) पृष्ट 3/4)

पंजीकृत वास्तुविद/का प्रमाण पत्र
(व्यवसायिक भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि मै0 सर्वप्रिया सिक्योरिटीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 6, सेक्टर–3, वैशाली गाजियाबाद पर स्थित कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स मॉल का निर्माण कार्य मेरे पर्यवेक्षक में किया गया। निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है। भवन जिस प्रयोजन हेतु निमित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरिक्षत है।

निर्मित भवन, लागू उपविधियों एवं स्वीकृत मानचित्र/स्वीकृत शमन मानचित्र के अनुसार है।

अथवा

निर्मित भवन में स्वीकृत मानचित्र अथवा स्वीकृत शमन मानचित्र से जो विचलन है वह क्रमांक–6 पर अंकित कर दिया गया है। भवन जिस प्रयोजन हेतु निर्मित किया गया है उस हेतु उपयुक्त है। इसकी गणवत्ता उच्च श्रेणी की है एवं स्ट्रक्चर के आधार पर सुरक्षित है। भवन निवास हेतु पूर्णतया उपयुक्त एवं सुरक्षित है।

अतः पूर्णता–प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

Architect
Anuj Agarwal
CA/96/19503
A-244, Kaushambi, Ghaziabad

दिनांकः–02/10/2020

हस्ताक्षर पंजीकृत वास्तुविद/नाम/पता
काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर का
पंजीकरण/लाइसेन्स वैधता की अवधि

ANUJ AGARWAL ARCHITECTS

Design Studio

ARCHITECTS, ENGINEERS, INTERIOR DESIGNERS & VASTU CONSULTANTS

OFFICE:- A-244, KAUSHAMBI, GHAZIABAD -201010
PHONE:- 0120-4165716,4563716,4157506
Email:-arch.anujagarwal@gmail.com

भाग–स

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(व्यवसायिक भवन हेतु)

प्रमाणित किया जाता है मै0 सर्वप्रिया सिक्योरिटीज प्रा0 लि0 प्लॉट नं0 6, सेक्टर–3, वैशाली गाजियाबाद पर स्थित कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स मॉल में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व नगर उपविधियो के अनुरूप किया गया है व स्थल पर 1 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूर्ण रूप से कार्यरत है।

हस्ताक्षर पंजीकृत वास्तुविद / नाम / पता
काउन्सिल ऑफ आर्कीटेक्चर का
पंजीकरण / लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांकः–17 / 12 / 2020